विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/ केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री तथा माल कर और रॉयल्टी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹279.28 करोड़ राजस्व से अंतर्विष्ट 27 परिच्छेद, सम्मिलित है।

I. सामान्य

वर्ष 2015-16 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹17,843.45 करोड़ की तुलना में ₹23,440.48 करोड़ थी। इसमें से 36 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹6,695.81 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,837.15 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 64 *प्रतिशत* विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹3,611.17 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹11,296.35 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में बढौतरी ₹5,597.03 करोड़ थी।

(परिच्छेद 1.1)

वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन कर, माल व यात्री कर तथा वन प्राप्तियां की 217 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1,206 मामलों में कुल ₹585.95 करोड़ का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ राजस्व हानि, इत्यादि सामने आई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 664 मामलों में ₹182.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें 533 मामलों में ₹23.06 करोड़ की राशि की वसूली की गई उसमें 471 मामलों में ₹15.15 करोड़ विगत वर्षों से संबंधित थे तथा 62 मामलों में ₹7.91 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 के लिए थी।

(परिच्छेद 1.10)

II. बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

लेनदेन लेखापरीक्षा

बिक्री और व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर विभाग ने ₹51.40 करोड पट्टा राशि को टोल वैरियरों के पट्टादारों से वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

(परिच्छेद 2.3)

निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय पांच से 30 *प्रतिशत* लागू योग्य दर के स्थान पर चार से 11 *प्रतिशत* की गलत दर लागू की परिणामस्वरूप, ₹0.54 करोड़ के कर की राशि की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹0.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय योग्य था।

(परिच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने तथा कर की छूट/रियायत दर को अनुमत करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में ₹47.90 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹41.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

एक व्यापारी ने ₹6.91 करोड़ के भुगतान योग्य प्रवेश कर के प्रति ₹3.40 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹3.51 करोड़ का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान कुल बिक्री से विविध देनदारों की राशि को निकालने के परिणामस्वरूप ₹0.83 कारेड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उद्ग्राहय था ।

(परिच्छेद 2.7)

III. राज्य आबकारी

उनतीस (29) लाइसेंसधारियों से ₹8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, ₹1.03 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 3.3)

चार सौ इक्यावन (451) बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 20,16,928 प्रूफ लीटर शराब को कम उठाने के लिए अतिरिक्त फीस ₹5.34 करोड़ का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹0.54 करोड की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

(परिच्छेद 3.4)

लाइसेंस फीस ₹76.39 करोड़ का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹99.61 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से नही मांगा गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का अल्प-उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 252 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹43.83 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

(परिच्छेद 3.6)

एक मद्यनिर्माणशाला, एक शराब की भट्टी तथा दो बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ की वर्ष 2014-15 के लिए वेतन के रूप में ₹34.77 लाख की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.7)

दो लाइसेंसधरियों से ₹28.75 लाख लाइसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क की अल्प-वसूली की गई। परिणामस्वरूप उस सीमा तक के राजस्व की हानि हुई। लाइसेंस फीस/फ्रेंचाइजी फीस के विलम्बित भुगतान पर ₹5.39 लाख का ब्याज भी वसूली योग्य था।

(परिच्छेद 3.8)

आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क उदग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹0.55 करोड़ के राजस्व का परित्याग हुआ ।

(परिच्छेद 3.10)

IV. स्टाम्प शुल्क

राज्य सरकार उपभोक्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि को पट्टे पर देते समय सांविधिक एवं विनियमित प्रावधानों की अनुपालना एवं लागू करवाने को सुनिश्चित करने में विफल रही परिणामस्वरूप कुल ₹101.80 करोड़ के राजस्व की अवसूली अथवा अल्प-वसूली हुई। पट्टे के आधार पर किये गए आबंटनों एवं भूमि के केन्द्रीकृत ड़ाटा का अनुरक्षण न करने के कारण पट्टों का उपयुक्त प्रबन्धन एवं अनुश्रवण करने की विभाग की क्षमता कमजोर रही। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित/नवीकृत नहीं किये गए थे,पट्टा राशि को भूमि के प्रचलित बाजारी मूल्य के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार नियत/संशोधित नहीं किया गया तथा विभाग ने सरकार के पक्ष में भूमि को पुर्नग्रहण करवाने अथवा पट्टा विलेखों को निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(परिच्छेद 4.3)

₹10.99 करोड़ के निर्मित ढ़ांचे के लिए गलत बाजारी दर को अपनाने के कारण ₹0.79 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण की फीस की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.4)

क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर गलत मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹0.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹27.94 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

(परिच्छेद 4.5)

बिक्री विलेखों के 400 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दरों को लागू किये जाने के कारण ₹31.87 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.6)

प्रचलित बाजारी दरों को न अपनाने के कारण पट्टा विलेखों पर ₹10.64 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.7)

V. वाहन, माल व यात्री कर

अप्रर्याप्त प्रर्वतन के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों का निष्कृष्ट अनुरक्षण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सभी वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹84.90 करोड़ के राजस्व का अनुद्ग्रहण/अल्प-उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 5.3)

विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए 11,018 वाहनों के संदर्भ में ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) की न तो मांग की गई और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 5.4)

ई-गवर्नेन्स समितियों ने प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹43.02 लाख एकत्रित किये जिसमें से ₹10.76 लाख सरकारी खाते में जमा करवाना अपेक्षित था जिसमें से मात्र ₹1.79 लाख ही जमा किये गए थे तथा ₹8.97 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे।

(परिच्छेद 5.5)

विशेष पथ कर ₹1.53 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम, निजी स्टेज कैरिजों तथा अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 5.6)

VI. वन प्राप्तियां

विभाग के विभिन्न डिपुओं में निपटान के लिए पड़ी 539.2254 घनमीटर आयतन की इमारती लकड़ी के गैर-निपटान के परिणामस्वरूप ₹33.70 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹2.79 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 6.3)

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा रॉयल्टी के लिए गलत दरों को लागू करने के कारण ₹8.30 करोड़ की रॉयल्टी की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.4)

विभाग ने परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 536 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 257.434 घनमीटर था, की लागत ₹32.50 लाख को प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल नहीं किया था।

(परिच्छेद 6.5)

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दोहनार्थ सौंपे गए इमारती लकड़ी के 36 लॉट्स की पट्टावधि को ₹17.20 लाख की विस्तार फीस की मांग किये बिना बढ़ाया गया।

(परिच्छेद 6.6)